

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4403  
28 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

**कृषि संबंधी गणना**

**4403. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:  
श्री बिद्यूत बरन महतो:  
श्री सुधीर गुप्ता:  
श्री प्रताप राव जाधव:  
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:  
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में कृषि संबंधी गणना कराने के नियम क्या हैं और कृषि संबंधी गणना कब की गई थी;
- (ख) क्या सरकार ने हाल ही में देश में किसानों/कृषकों की संख्या और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए कोई गणना कराई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गणना में शामिल किए गए छोटे और सीमांत किसानों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी वार किसानों की संख्या कितनी है और इसके परिणाम रहे;
- (घ) वर्तमान गणना की तुलना पिछली गणना से किस प्रकार की जा सकती है;
- (ङ) ऐसी गणना करते समय सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है; और
- (च) क्या नवीनतम कृषि गणना के अनुसार दर्शाया गया बुवाई का निवल क्षेत्र का केवल 45.70 प्रतिशत ही सिंचित है और यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में बुवाई सिंचित निवल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**  
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री**  
**(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

**(क) और (ख) :** देश में प्रचालनात्मक जोत की संरचना के बारे में जानकारी एकत्र करने और समय के साथ होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए भारत में पांच वर्ष के अंतराल पर कृषि संगणना की जाती है। वर्ष 1970-71 से अब तक दस कृषि संगणना की जा चुकी हैं और इस क्रम में वर्ष 2015-16 की कृषि संगणना नवीनतम है।

**(ग) :** कृषि संगणना वर्ष 2015-16 के अनुसार, प्रचालनात्मक जोतधारकों की कुल संख्या वर्ष 2010-11 में 138.35 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 146.45 मिलियन हो गई है, अर्थात् 5.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में प्रचालनात्मक जोतधारकों का राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(घ) : प्रयुक्त अवधारणाओं एवं परिभाषाओं और विभिन्न आकार वर्गों द्वारा प्रचालनात्मक जोतों की संख्या और क्षेत्र पर एकत्र की गई जानकारी पिछली संगणनाओं के साथ तुलनीय है।

(ङ) : कृषि संगणना वर्ष 2015-16 के संचालन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसमें मैनुअल डेटा संग्रह, भूमि अभिलेखों के अद्यतन में देरी आदि शामिल हैं।

(च) : कृषि संगणना वर्ष 2015-16 के अनुसार, निवल सिंचित क्षेत्र (निवल बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में) वर्ष 2010-11 में 45.70 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 48.73 प्रतिशत हो गया है।

भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2015 को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को "हर खेत को पानी" के आदर्श वाक्य के साथ सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला जैसे जल स्रोत, वितरण नेटवर्क और फार्म लेवल के अनुप्रयोगों में एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करने के लिए लॉन्च किया। पीएमकेएसवाई के घटक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), पीएमकेएसवाई - हर खेत को पानी, पीएमकेएसवाई - प्रति बूंद अधिक फसल और पीएमकेएसवाई - वाटरशेड विकास आदि हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) देश के सभी राज्यों में वर्ष 2015-16 से पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी की केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जो सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप और स्पिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से फार्म लेवल पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के अलावा, यह घटक सूक्ष्म सिंचाई के लिए स्रोत निर्माण के पूरक के लिए सूक्ष्म स्तर के जल भंडारण या जल संरक्षण/प्रबंधन गतिविधियों को भी सहायता प्रदान करता है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार प्रचालनात्मक जोतधारकों की संख्या (वास्तविक)					
		सीमांत (1.00 हेक्टेयर से कम)	छोटा (1.00 - 1.99 हेक्टेयर)	अर्ध-मध्यम (2.00 - 3.99 हेक्टेयर)	मध्यम (4.00 - 9.99 हे.)	बड़ा (10.00 हेक्टेयर और इससे अधिक)	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5154	2533	2875	1364	28	11954
2	आंध्र प्रदेश	5904039	1646246	769843	189034	14748	8523910
3	अरुणाचल प्रदेश	27161	24056	29018	26328	6690	113253
4	असम	1868020	495313	295286	79262	3830	2741711
5	बिहार	14970585	943796	414015	81408	3089	16412893
6	चंडीगढ़	480	139	81	46	2	748
7	छत्तीसगढ़	2434321	879477	493056	180823	23095	4010772
8	दादरा व नगर हवेली	8511	3829	1887	746	99	15072
9	दमन और दीव	7422	423	131	34	6	8016
10	दिल्ली	11489	5436	2587	1209	121	20842
11	गोवा	59472	8083	4309	2092	607	74563
12	गुजरात	2018827	1615788	1150254	495869	39888	5320626
13	हरियाणा	802396	313937	277972	192327	41383	1628015
14	हिमाचल प्रदेश	712204	173456	82265	25920	2964	996809
15	जम्मू और कश्मीर	1186887	159988	58102	10998	534	1416509
16	झारखंड	1961615	418684	277306	125514	19827	2802946
17	कर्नाटक	4767132	2213732	1192724	451445	55706	8680739
18	केरल	7333248	181372	55744	11274	1858	7583496
19	लक्षद्वीप	9562	281	135	31	8	10017
20	मध्य प्रदेश	4834531	2724684	1674301	706734	62885	10003135
21	महाराष्ट्र	7815823	4339259	2327023	733619	69715	15285439
22	मणिपुर	76705	48737	22269	2734	39	150484
23	मेघालय	122748	60268	39863	9256	262	232397
24	मिजोरम	44963	27483	13834	3209	285	89774
25	नागालैंड	8211	29790	63332	73769	21430	196532
26	ओडिशा	3636658	887272	286735	51210	3975	4865850
27	पुदुचेरी	28361	3385	1568	481	45	33840
28	पंजाब	154412	207436	367938	305220	57707	1092713
29	राजस्थान	3070873	1677372	1416174	1131440	358757	7654616
30	सिक्किम	44294	12767	10591	3513	367	71532
31	तमिलनाडु	6224319	1119229	452236	127650	14513	7937947
32	तेलंगाना	3840131	1408979	563530	125630	9465	5947735
33	त्रिपुरा	504105	47987	18538	2491	73	573194
34	उत्तर प्रदेश	19099828	3008403	1313695	376790	22909	23821625
35	उत्तराखंड	659064	148817	58040	14496	888	881305
36	पश्चिम बंगाल	5997758	970895	255957	17514	608	7242732
	अखिल भारतीय	10025130 9	25809332	13993214	5561480	838406	146453741